

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह-9/12 पार्ट

जयपुर, दिनांक १८ SEP २०१७

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह-9/12 पार्ट, दिनांक 17.09.2017 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन समर्त कार्यालय एवं पदस्थापित चिकित्सकों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समर्त सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के प्रयोजन के लिए आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

अतः राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समर्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समर्त सेवाओं में सामुहिक अवकाश लेने, हड्डताल पर जाने या अन्य प्रकार से सेवाओं के प्रदाय में व्यवधान किये जाने को एतद्वारा दिनांक 17.09.2017 से आगामी तीन माह के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

१२
(सीमा कुमार)
शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. समर्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
7. समर्त जिला कलकटर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, /पुलिस आयुक्त राजस्थान।
8. समर्त जिला पुलिस अधीक्षक /पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
9. समर्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
10. निदेशक जन स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 17.09.2017 के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

(सीमा कुमार)
शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह-9/12 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 17 SEP 2017

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में चिकित्सकों द्वारा सामूहिक अवकाश, हड्डताल व अन्य प्रकार से सेवाओं के प्रदाय नहीं किये जाने से सेवाओं के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप जन समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्वारा दिनांक 17.09.2017 से आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सीमा कुमार)

शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त जिला कलकटर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, / पुलिस आयुक्त राजस्थान।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
10. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 17.09.2017 के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
14. रक्षित पत्रावली।

(सीमा कुमार)

शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग